वित्तीय विवरण

2018–19

- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि का विवरण
- नगदी प्रवाह विवरण
- लेखा संबंधी टिप्पणियां
- वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) परिसंपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		683,030		732,768
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		455,714		394,994
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		85		33
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3		0		33
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण एवं अग्रिम	4	4,079		4,483	
(ii) अन्य	5	1,452	5,531	1,582	6,065
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6		89,104		82,532
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	7		119,490		69,965
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	8		3,060		3,000
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) प्राप्य व्यापार	9	170,128		130,726	
ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	10	4,577		6,102	
iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक बकाया	11	676		37	
iv) ऋण तथा अग्रिम	12	5,292		4,578	
v) अन्य	13	178	180,851	167	141,610
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	14		9,049		9,047
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15		4,368		5,983
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	16		7,501		0
जोड़			1,557,783		1,446,030
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	365,488		362,743	
ख) अन्य इक्विटी		562,590	928,078	488,384	851,127
गैर चालू देनदारियां					
क) वित्तीय देनदारियां					
(i) ऋण	18	265,201		241,530	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	19	1,794		2,200	
(iii) अन्य	20	248	267,243	284	244,014
ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	21		90,992		97,907
ग) प्रावधान	22		39,483		35,087

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
i) ऋण	23	121,840		64,663	
ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		43		41	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं		17,641		7,454	
(iii) अन्य	24	65,506	205,030	113,980	186,138
अन्य चालू देयताएं	25		3,857		4,429
ग) प्रावधान	26		12,293		21,015
घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	27		4,494		0
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	28		6,313		6,313
जोड़			1,557,783		1,446,030
लेखाकर नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	38				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां 1 से 39 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।	39				

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा) कंपनी सचिव सदस्यता सं. 26692	(जे. बेहरा) निदेशक (वित्त) डीआईएन: 08536589	(डी.वी. सिंह) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	29		276,796		218,510
अन्य आय	30		8,233		3,809
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		6,915		6,822	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	6,915	0	6,822	0
कुल राजस्व			285,029		222,319
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	31		41,183		30,649
वित्त लागत	32		17,568		22,787
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		55,500		57,452
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	33		22,132		20,342
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	34		4,985		0
कुल व्यय			141,368		131,230
विनियामक आस्थगित खाते में संचलन और कर पूर्व लाभ			143,661		91,089
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में संचलन	16		7,501		0
कर पूर्व लाभ			151,162		91,089
कर व्यय	35				
चालू कर					
आयकर			32,275		19,056
आस्थगित कर–परिसंपत्ति			(6,676)		(5,083)
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			125,563		77,116
II अन्य बृहत आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	36		(299)		563
परिभाषित हित लाभ योजनाओं पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं – आस्थगित कर परिसंपत्ति			(104)		195

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
अन्य बृहत् आय			(403)		758
कुल बृहत् आय (I+II)			125,160		77,874
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			344.38		213.14
तनुकृत (₹)			344.35		213.13
(विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			323.81		213.14
तनुकृत (₹)			323.78		213.13
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, जोखिम प्रबंधन	38				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां, 1 से 39 तक की टिप्पणी इन लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।	39				

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08536589

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व लाभ जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन शामिल हैं		151,162		91,089
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	55,500		57,452	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	6,915		6,822	
प्रावधान	4,985		-	
ऋणों पर ब्याज	17,568		22,787	
अन्य वृहत आय (ओसीआई)	(299)		563	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		317	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(7,501)		-	
आपवादिक मदें	-	77,168	-	87,941
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**228,330**		**179,030**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:–				
माल सूची	(121)		264	
प्राप्य व्यापार	(39,402)		42,502	
अन्य परिसंपत्तियां	1,729		655	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर चालू)	(5,236)		(1,002)	
व्यापार देय और देनदारियां	5,126		(15,973)	
प्रावधान (वर्तमान + गैर चालू)	(4,326)	(42,230)	6,785	33,231
कर पूर्व प्रचालक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**186,100**		**212,261**
कारपोरेट कर		(32,275)		(19,056)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**153,825**		**193,205**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन				

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(73,416)		(107,886)	
पूंजी अग्रिम	(49,520)		21,944	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(122,936)**		**(85,942)**
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	2,800		3,200	
उधारियां	(23,175)		(98,875)	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(17,568)		(22,787)	
लाभांश तथा कर पर लाभांश	(51,009)		(40,345)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		**(88,952)**		**(158,807)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(58,063)**		**(51,544)**
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**(58,524)**		**(6,980)**
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**(116,587)**		**(58,524)**

टिप्पणी:

1. *नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 878 लाख रु. (गत वर्ष में 37 लाख रु.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।*
2. *पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।*
3. *नगदी और नगदी समकक्ष को नोट सं. 39.21 (क) में मान्य रूप दिया गया है।*

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन: 08538589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		362,743
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		2,745
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**365,488**

ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

			1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष		345	484,747	3,000	291	488,383
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	37		0			0
पुनर्निर्धारित अथ शेष (I)		345	484,747	3,000	291	488,383
वर्ष के लिए लाभ			125,563			125,563
अन्य व्यापक आय					(403)	(403)
कुल व्यापक आय			125,563		(403)	125,160
लाभांश			42,312			42,312
लाभांश पर कर			8,696			8,696
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			74,555			74,152
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित (III)			(1,500)			(1,500)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/ (उपयोग) (IV)				1,500		1,500
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी आवंटन जमा/आवंटित (V)		2,800				2,800
वर्ष के दौरान शेष पूंजी लंबित आवंटन (VI)		(2,745)				(2,745)
अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)		400	557,802	4,500	(112)	582,590

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08536589

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019
स्थान: ऋषिकेश

टिप्पणी सं:– 1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2018–19

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के सांविधिक प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सीईआरसी विनियमों, एमसीए द्वारा जारी किये गए भारतीय लेखाकरण नीतियों (इंड एएस) और उनमें किये गए संशोधनों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विवरणों और मार्गदर्शी टिप्पणियों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीएंडई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी. कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे पूंजीकरण के मानक को पूर्ण करते हैं और इन्हें इस राशि में शामिल किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों को स्टोर्स एवं स्पेयर्स के रूप में रखा जाता है।

3.4 यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनापेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में है, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भूभाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान / दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 सुविधाओं के सृजन पर व्यय की गयी पूंजी, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है लेकिन परियोजना के निर्माण हेतु जिसका सृजन अनिवार्य है इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया जाता है। तदन्तर व्यवस्थित रूप से आबंटित किया जाता है। ऐसी प्रकृति के कार्यों पर किया गया व्यय, परियोजना पूरी होने के बाद, लाभ एवं हानि से प्रशासित किया जाता है।

4.3 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउन–शिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अपर्गीकृत है।

4.4 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.5 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.6 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.7 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, सामान्य नागरिक सुविधाओं के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी लागत, यदि परियोजना लागत में लगी हो, ऐसी लागतें चल रही निर्माण परियोजनाएं/ पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अविग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनापेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती हैं। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

6.3 मौद्रिक मदों के निपटारे अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में लाभ अथवा व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रचालनीय विद्युत केंद्रों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत कार्य की राशि में जोड़ दिया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आगतों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों की न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकड़ें उपलब्ध हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर 3– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति की उन परिस्थितियों में पहचान की जाती है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं.

1. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3. लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और माप:** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाय व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **तदन्तर माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन):-** किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. माल–सूची

9.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

9.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिफलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को

लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10. वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

10.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों नियल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

10.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

10.4 उत्तरवर्ती माप

10.4.1 प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर रखाव लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4.2 रखाव लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग है। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

10.5 अमान्य करना: किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

11. सरकारी अनुदान

11.1 केंद्र/प्रादेशिक/ अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान में उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचपीपी स्टेज–1 हेतु प्राप्त अंशदान भी शामिल है। इसे प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

12.1 कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व प्रस्तुत करने पर प्रावधानों की पहचान होती है आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण अपेक्षित है तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के निर्धारण हेतु सुनिश्चित किए जाते हैं।

12.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

12.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

13. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

13.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तांतरित की जाती है जब नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

13.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा तथा संग्रहण के उद्देश्य से अनंतिम दर स्वीकार की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

13.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

13.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

13.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितग्राहियों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं है, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

13.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 23 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 35 वर्ष माना गया।

13.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

13.8 विविध देनदारों से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य अधिभार के इनकी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चतता के कारण प्रोद्भूत देय नहीं माना गया और तदनुसार रसीद के आधार पर गणना की गयी।

13.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

13.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

13.11 बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से संपत्ति तथा उपस्करों अथवा अन्य मदों के असामान्य, गुम अथवा हानि पहुंचने पर क्षतिपूर्ति और देय अन्य दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर लाभ–हानि में शामिल किया जाता है। मदों के गुम या असामान्य होने पर बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु संगत दावे तथा तदन्तर परिसंपत्ति/माल सूची संबंधी कोई खरीद एकल आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें अलग से लेखे में लिया जाता है।

14. व्यय

14.1 मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

14.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि

खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है। संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थी तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनित अधिशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

14.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

14.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

14.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

14.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

14.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

15. कर्मचारियों के हितलाभ

15.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

15.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) -19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.3 वास्तविक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव नियत ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

16. ऋण लागत

16.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

16.2 सामान्यतया उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में मान्य किया जाता है।

17. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

17.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि / कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/ निपटान के लिए उपलब्ध हैं, प्रभारित किया जाता है।

17.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं की है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

17.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

17.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/ पूंजीकृत वर्ष में रू.1/- रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

17.5 1500/- रुपये से अधिक लेकिन 5000/- रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

17.6 1500/- रुपये तक की कम लागत वाली सामग्रियां,जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

17.7 लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

17.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

17.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

18. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

18.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

19. आय कर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण से आयकर की पहचान होती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचानी जाती है।

19.1 वर्तमान आयकर– आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित लाभ से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें जो आय अथवा व्यय अन्य वर्ष में कर योग्य अथवा घटाने योग्य है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मदें कभी कर योग्य अथवा घटाने योग्य (स्थायी अंतर) नहीं, ये भी शामिल नहीं है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत है और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

19.2 आस्थगित कर

19.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्‌भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

19.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू है। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

19.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करती है।

20. नकदी प्रवाह विवरण

20.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

21. **प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण–** कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

21.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो

- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

22. दर विनियमित गतिविधियां – विनियामक आस्थगित खाता शेष

22.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को 'विनियामक आस्थगित लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

22.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

22.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

23. लाभांश वितरण

23.1 कंपनी के अंशधारकों को लाभांश वितरण के लिए जिस अवधि के लिए लाभांश अनुमोदित किया जाता है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में उसी अवधि के लिए देनदारी के रूप में माना गया है।

24. सेगमेंट रिपोर्टिंग

24.1 विद्युत उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–108– 'प्रचालन सेगमेंट' के अनुसार प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं।

25. विविध

25.1 समान वस्तुओं की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण श्रेणी वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शायी जाती है। असमान प्रकृति की वस्तुओं और कार्यों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक ये गौण न हों।

टिप्पणी– 2

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2019 के अनुसार	1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
क. संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	3,905	-	-	3,905	382	186	-	568	3,337	3,523
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,825	-	-	3,825	-	-	-	-	3,825	3,825
3. जलमग्न भूमि	165,069	63	-	165,132	55,551	5,879	-	61,430	103,702	109,518
4. भवन	89,045	11,470	-	100,515	21,041	4,249	-	25,290	75,225	68,004
5. अस्थायी भवन ढांचे	2,360	58	-	2,418	2,360	58	-	2,418	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	16,034	224	-	16,258	3,278	562	-	3,840	12,418	12,756
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	2,140	95	-	2,235	665	94	-	759	1,476	1,475
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,149	103	(7)	2,245	1,290	61	(2)	1,349	896	859
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	304,911	217	-	305,128	117,046	16,457	-	133,502	171,626	187,865
10. ई.डी.पी. मशीन	1,418	435	(244)	1,609	1,104	120	(219)	1,005	604	314
11. विद्युत संस्थापनाएं	4,570	7	-	4,577	670	244	-	914	3,663	3,900
12. पारेषण लाइनें	2,461	123	-	2,584	1,042	132	-	1,174	1,410	1,419
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	5,675	195	(4)	5,866	2,561	344	(2)	2,903	2,963	3,114
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,490	179	-	2,669	1,069	161	-	1,230	1,439	1,421
15. वाहन	1,546	556	(29)	2,073	765	131	(22)	874	1,199	781
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	41	4	-	45	77	81
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	516,190	225	-	516,415	251,394	27,531	-	278,925	239,490	265,796
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, कॉन्क्रीट इत्यादि	139,980	-	-	139,980	72,876	7,440	-	80,316	59,664	67,104
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो में अप्रचलित/अनुपयोगी परिसंपत्तियां	12	-	4	16	-	-	-	-	16	12
उप जोड़	1,265,902	13,950	(280)	1,279,572	533,134	63,653	(245)	596,542	683,030	732,768
पिछले वर्ष के आंकड़े	1,247,126	19,363	(587)	1,265,902	466,484	66,428	222	533,134	732,768	780,642
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–सॉफ्टवेयर	397	74	-	471	364	22	-	386	85	33
उप जोड़	397	74	-	471	364	22	-	386	85	33
पिछले वर्ष के आंकड़े	395	2	-	397	350	14	-	364	33	45
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पूर्व वर्ष			
ई.डी.सी. को हस्तांतरित मूल्यह्रास					1,260		2,168			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरित मूल्यह्रास					55,500		57,452			
आस्थगित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन तथा [illegible] के लिए अंशदान					6,915	63,675	6,822	66,442		
वर्ष के दौरान रु.1500.00 से अधिक परंतु रु. 5000.00 से कम की [illegible] परिसंपत्तियां क्रय की गई तथा पूरी तरह से पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया					29		10			

2.1 [illegible] 14.37 एकड़ भूमि [illegible] किया गया है।

2.2 [illegible]

टिप्पणी:– 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन

राशि लाख ₹ में

विवरण			31 मार्च 2019 की समाप्ति पर			31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2018 की स्थिति अनुसार	वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान वृद्धि	वर्ष 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान समायोजन	वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		7,522	10,608	284	(11,481)	6,913
सड़क– पुल तथा पुलिया		836	1,646	(126)	(217)	2,139
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		-	317	-	(77)	240
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		118,932	24,866	(1)	(10)	143,787
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे जल चैनल, पियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		218,100	28,466	(16)	-	246,550
जलागम क्षेत्र वनीकरण		1,187	7,812	-	-	8,999
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		88	57	-	(124)	21
कोयला खान का विकास		3,761	0	0	0	3,761
सौर ऊर्जा का विकास		0	2,583	0	0	2,583
अन्य		125	59	-	(2)	182
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,788	68	(40)	-	9,816
निर्माण के दौरान व्यय	28.1	4,024	(1,168)			2,856
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		30,631	1,144	-	(425)	31,350
घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		0	3,483	0	0	3,483
जोड़		**394,994**	**72,975**	**81**	**(12,336)**	**455,714**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**303,496**	**106,451**	**195**	**(15,148)**	**394,994**
ख) अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर						
अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन		33	65	(29)	(69)	0
उप जोड़		**33**	**65**	**(29)**	**(69)**	**0**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन चल रही परियोजनाएं शामिल हैं। चूंकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणीः– 4

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		1,924		2,490	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		761		717	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		2,665		2,674	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		180		183	
कर्मचारियों को कुल ऋण		5,530		6,064	
घटाएं : उचित मूल्यांकन समायोजन		1,451	4,079	1,582	4,482
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0		1	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		0		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	1
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रूप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		0	0	0	0
जमा राशियां					
अन्य जमा राशियां		0	0	0	0
उप जोड़			4,079		4,483
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़–अग्रिम			4,079		4,483
कुल ऋण और अग्रिम			4,079		4,483
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		0		1	
जोड़		0		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	1
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		1		2	
ब्याज		1		1	
जोड़		2		3	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	1	2

टिप्पणी:— 5

अन्य गैर–चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 की स्थिति अनुसार		31.03.2018 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1,452		1,582
जोड़			**1,452**		**1,582**

टिप्पणी:— 6

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 की स्थिति अनुसार		31.03.2018 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		92,079	89,104	85,507	82,532
जोड़			**89,104**		**82,532**

टिप्पणी:— 7

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 की स्थिति अनुसार		31.03.2018 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय		40		35	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	40	0	35
उप जोड़			**40**		**35**
अग्रिम पूंजी					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के विरूद्ध (65992 लाख रु. की बैंक गारंटी के लिए)		59,337		52,764	
ii) पुनर्वास/पुनर्स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		26,552		3,012	
iii) अन्य		40,435		26,546	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		5,528	131,852	10	82,332
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,402		12,402
उप जोड़ – पूंजी अग्रिम			**119,450**		**69,930**
जोड़			**119,490**		**69,965**

टिप्पणी:— 8

माल सामग्री

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 की स्थिति अनुसार		31.03.2018 की स्थिति अनुसार	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		104		111	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,694		2,697	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		287		213	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		25	3,110	1	3,022
घटाएं : अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			50		22
जोड़			**3,060**		**3,000**

टिप्पणी:– 9

व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		41,692		15,773	
उधारी में कमी		14,576	56,268	18,476	34,249
घटाएं: –अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			14,576		18,476
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		128,436		70,092	
उधारी में कमी		0	128,436	0	70,092
(iii) लंबित प्रशुल्क याचिका के विरुद्ध कर्जदार					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		0		44,861	
उधारी में कमी		0	0	2,201	47,062
घटाएं : – अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		2,201
जोड़			170,128		130,726

9.1 व्यापार प्राप्य में लंबित प्रशुल्क याचिका के लिए शून्य रु (वसूलनीय शून्य रु और भुगतान योग्य शून्य रु) (पिछले वर्ष 47062 लाख रु वसूलनीय 26540 रु. और भुगतान करने योग्य 20522 लाख रु.)

9.2 व्यापार प्राप्य में शून्य रु. (पिछले वर्ष 849 लाख) में वह राजस्व भी शामिल है जिसे खातों में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी:– 10

नकद और नकद समकक्ष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
नकद एवं नकद समकक्ष					
बैंकों में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ फ्लेक्सी जमा सहित)			4,576		6,094
हाथ में चैक, ड्राफ्ट्स, स्टैम्पस			1		8
जोड़			4,577		6,102

टिप्पणी:– 11

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कम्पनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में शेष)			676		37
जोड़			676		37

टिप्पणी:– 12

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ– ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		702		799	
अशोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		262		253	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		196		163	
अशोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		5		1	
कर्मचारियों को कुल ऋण		1,165		1,216	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		178	987	167	1,049
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0		0	
अशोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0		1	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		0		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	1
अन्य					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रूप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		251		273	
अन्य के लिए		35	286	35	308
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		915		687	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		3,088		2,534	
अन्य जमा राशियां		24	4,027	7	3,228
उप जोड़			5,300		4,586
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			5,292		4,578
कुल ऋण और अग्रिम			5,292		4,578
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		0		1	
जोड़		0		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	1
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0		1	
ब्याज		0		0	
जोड़		0		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	1

टिप्पणी:– 13

अन्य–चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
अन्य			
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत		178	167
जोड़		**178**	**167**

टिप्पणी:– 14

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
जमा किया गया कर		9,049	9,047
जोड़		**9,049**	**9,047**

टिप्पणी:– 15

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
पूर्व भुगतान व्यय		2,971	3,119
उपार्जित ब्याज		16	28
उप जोड़		**2,987**	**3,147**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)			
कर्मचारियों को		35	25
खरीद के लिए		1,255	1,211
अन्य को		1,532	1,600
		2,822	**2,836**
घटाएं: संदिग्ध वसूलियों के प्रावधान		1,441	0
उप जोड़ –अन्य अग्रिम		**1,381**	**2,836**
जोड़		**4,368**	**5,983**

टिप्पणी:– 16

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
आद्य शेष		0	0
वर्ष के दौरान निवल संचालन		7,501	0
अंत शेष		**7,501**	**0**

टिप्पणीः– 17

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		40,000,000	400,000.00	40,000,000	400,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		36,548,817	365,488	36,274,317	362,743
1000/–रू. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		36,548,817	365,488	36,274,317	362,743

टिप्पणीः– 17.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
		शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		27,199,417	74.42	26,924,917	74.23
II. उत्तर प्रदेश सरकार		9,349,400	25.58	9,349,400	25.77
जोड़		36,548,817	100	36,274,317	100

टिप्पणीः– 17.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		36,274,317	362,743	35,988,817	359,888
निर्गत		274,500	2,745	285,500	2,855
अंतिम		36,548,817	365,488	36,274,317	362,743

17.3 कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 42312 लाख लाभांश का भुगतान किया और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 12800 लाख रु के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है ।

टिप्पणी:– 18

गैर –चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
क. बॉण्ड्स बॉण्ड्स निर्गत सं. 1 – प्रतिभूत (प्रत्येक रू. 1000000/–की 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तनीय बांड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2028)			60,000		60,000
जोड़ (क)			**60,000**		**60,000**
ख. प्रतिभूत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि.(पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			31,597		40,825
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि.(पीएफसी)–783020002 (केएचईपी के लिए)# (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			20,475		32,175
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी (केएचईपी के लिए)# (यूए–जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754) (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की वार्षिक दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			15,767		22,774
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)—330001–(टिहरी–एचपीपी के लिए)** (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 9.35 प्रतिशत प्रति वर्ष लागू)			19,036		28,554
पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए) @ पंजाब नेशनल बैंक(30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/एमसीएलआर प्रतिवर्ष 9.45 प्रतिशत			56,000		0
जोड़ (ख)			**142,875**		**124,126**
ग. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा) **विश्व बैंक ऋण–8078–आई एन (वीपीएचईपी केलिए) $**					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर / एलआईबीओआरआई भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में प्रतिशत			62,326		57,402
जोड़ (ग)			**62,326**		**57,402**
कुल (क + ख + ग)			**265,201**		**241,530**

** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$ संबंधित ऋण बैंकिंग समरूप के तहत बिल पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिए प्रदित।

* टिहरी एचपीपी चरण–I की वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम/समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं।

@ टिहरी पीएसपी की परिसम्पत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्तांतरित हाइड्रोमैकेनिकल के लिए प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी:– 19

गैर चालू वितीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
देनदारिया					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		2,042		2,484	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभति जमा/प्रतिधारण राशि		248	1,794	284	2,200
जोड़			1,794		2,200

टिप्पणी:– 20

अन्य–गैर चालू–वितीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ: प्रतिभति जमा/प्रतिधारण राशि			248		284
जोड़			248		284

टिप्पणी:– 21

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
मूल्यहास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व					
अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार		21,271		21,271	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन		0	21,271	0	21,271
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई संघटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		144,118		144,118	
घटाएं: मूल्यहास के प्रति समायोजन		74,397	69,721	67,482	76,636
अन्य देनदारिया			0		0
जोड़			90,992		97,907

टिप्पणी:— 22

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्टक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		34,118	4,651	3,649	(3,747)	38,671
II. अन्य		969	0	(157)	0	812
जोड़		35,087	4,651	3,492	(3,747)	39,483
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		38,970	4,729	(2,390)	(6,222)	35,087

22.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में इंड एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 39.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणी:— 23

गैर– वित्तीय देनदारियां –उधार

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण					
बैंक ऑफ इंडिया (फ्लोटिंग दर आधार पर एक माह के लिए एम एल सी आर 8.50 प्रतिशत +0.20 प्रतिशत मार्जिन वर्तमान में 8.50 प्रतिशत)#			59,958		0
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट					
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग आधार दर एक वर्ष के लिए एमसीएलआर अर्थात वर्तमान में 8.45 प्रतिशत*			61,882		64,663
जोड़			121,840		64,663

* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स, औजार एवं अनुषंगियां, ईंधन स्टाक स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के ₹61882 लाख का ओडी सुरक्षित है।

\# ऋण बही/कंपनी से प्राप्य में प्रभार के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया में लघु अवधि ऋण प्राप्त किया जाता है।

टिप्पणी:— 24

अन्य–चालू–वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत *			51,253		98,618
(भारतीय मुद्रा में ऋण)					
जोड़ (क)			51,253		98,618
ख. अप्रतिभूत *			3,184		2,665
जोड़ (ख)			3,184		2,665
कुल			54,437		101,283
देनदारियां					
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		8,404		7,165	

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	6,404	0	7,166
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		4,865		5,532	
अन्य देनदारियां		0	4,865	0	5,532
जोड़			11,069		12,697
कुल देनदारियां			65,506		113,960

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–18 में दिए गए हैं। पिछले वर्ष में टिहरी पीएसपी की परिसम्पत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 61365 लाख रु. शामिल हैं।

टिप्पणी:– 25

अन्य चालू देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
देयताएं					
अन्य देयताएं			3,857		4,429
जोड़			3,857		4,429

टिप्पणी:– 26

चालू प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए: वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
I. कार्य		635	353	(11)	(414)	563
II. कर्मचारियों से संबंधित		18,861	13,329	(4,772)	(17,034)	10,384
III. अन्य		1,519	464	(39)	(598)	1,346
जोड़		21,015	14,146	(4,822)	(18,046)	12,293
पिछले वर्ष के आंकड़े		10,347	15,857	(933)	(4,256)	21,015

26.1 कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 39.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणी:– 27

चालू कर देताएं (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
आय कर					
अथ शेष			0		0
अवधि के दौरान वृद्धि			32,557		9,696
अवधि के दौरान समायोजन			0		(3,730)
अवधि के दौरान उपयोग			(28,063)		(5,966)
अंतिम शेष			4,494		0

टिप्पणी:– 28

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
आद्य शेष			6,313		6,313
वर्ष के दौरान निवल संचालन			0		0
अंत शेष			6,313		6,313

टिप्पणी:– 28.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	31				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		15,319		10,656	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		954		730	
पेंशन निधि		707		360	
उपदान		494		380	
कल्याण		258		206	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		10	17,742	36	12,367
अन्य व्यय	33				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		63		67	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		202	265	299	366
दर एवं कर			22		11
विद्युत एवं ईंधन			610		623
बीमा			35		33
संचार			127		168
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2		5	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		0	
भवन		323		641	
अन्य		228	553	228	874
यात्रा एवं वाहन			226		176
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			543		528
सुरक्षा			305		437
प्रचार तथा जनसंपर्क			93		37
अन्य सामान्य व्यय			1,306		1,936
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			3		1
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			13		99

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रतिभूत जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर के लेखे पर प्रतिधारण राशि			87		149
मूल्यह्रास	2		1,260		2,166
कुल व्यय (क)			**23,090**		**19,974**
प्राप्तियां					
अन्य आय	30				
ब्याज					
बैंक जमा से		5		3	
कर्मचारियों से		84		96	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम: प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		10		38	
अन्य से		4	103	4	141
मशीन किराया प्रभार			1		0
किराया प्राप्तियां			67		70
विविध प्राप्तियां			146		80
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			41		219
उचित मूल्य लाभ-प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			88		149
कुल प्राप्तियां (ख)			**446**		**659**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**22,644**		**19,315**
कराधान के लिए प्रावधान	35				
कराधान सहित निवल व्यय			**22,644**		**19,315**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि मदें	37		0		136
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	36		(45)		113
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			4,023		2,370
कुल ईडीसी			**26,712**		**21,708**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति आबंटित		23,388		17,292	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		468	23,856	393	17,685
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**2,856**		**4,023**

टिप्पणी:– 29

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		228,832		215,963	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत बिक्री के लाभार्थियों से आय		44,877		(554)	
घटाएं :					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	273,709	0	215,409
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			3,002		2,887
परामर्श से आय			85		214
जोड़			276,796		218,510

29.1 माननीय सीईआरसी ने 2009–14 और 2014–19 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी के प्रशुल्क याचिका का निपटान कर दिया है और 05.12.2017 के आदेश द्वारा संशोधित प्रशुल्क को मंजूरी दे दी है। माननीय सीईआरसी ने 2011–14 और 2014–19 के लिए कोटेश्वर एचईपी की प्रशुल्क याचिका का निपटान कर दिया गया है और अपने दिनांक 05.09.2018 और 09.10.2018 के आदेश द्वारा प्रशुल्क भी जारी किया गया है।

इस आदेश के फलस्वरूप पिछले वर्षों की राशि 44767 लाख रु. को प्रचालनों से होने वाली आय में शामिल किया गया है।

दिनांक 05.12.2017 और 09.10.2018 के उक्त आदेश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को अनुमत्य किया गया ।

29.2 विद्युत बिक्री के प्रतिलाभियों से प्राप्त आय में 31178 लाख रु. (गत वर्ष 15548 लाख रु.) का देर से भुगतान करने पर अधिभार शामिल है।

टिप्पणी:– 30

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रु. 117852.00 शामिल है, पिछले वर्ष 103081.00 रु.)		59		210	
कर्मचारियों से		316		351	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–प्रभारी ब्याज के खाते में समायोजन		246		391	
अन्य		5	626	10	962
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			2		6
किराया प्राप्तियां			144		135
विविध प्राप्तियां			339		324
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			7,277		2,886
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			26		41
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			265		114
जोड़			8,679		4,468
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	28.1		446		659
जोड़			8,233		3,809

टिप्पणी:– 31

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			49,754		35,770
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			3,284		2,523
पेंशन निधि			2,466		1,343
उपदान			1,930		2,003
कल्याण व्यय			1,243		986
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			248		391
जोड़			58,926		43,016
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	28.1		17,742		12,367
जोड़			41,183		30,649

टिप्पणी:– 32

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बौंड निर्गम श्रृंखला–1 पर ब्याज			4,554		4,554
एफईआरवी सहित ऋणों पर ब्याज			31,546		32,805
जोड़			36,100		37,359
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			18,532		14,572
जोड़			17,568		22,787

टिप्पणी:– 33

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		176		185	
कर्मचारी आवास किराया		417	593	699	884
दर एवं कर			89		183
विद्युत एवं ईंधन			1,775		1,756
बीमा			2,169		2,252
संचार			318		381

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2,228		1,803	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		559		917	
भवन		1,071		1,350	
अन्य		1,656	5,514	2,611	6,681
यात्रा एवं वाहन			770		637
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,446		1,378
सुरक्षा			4,929		4,171
प्रचार तथा जनसंपर्क			212		296
अन्य सामान्य व्यय			4,626		4,282
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			23		17
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्च			501		506
अनुसंधान और विकास			259		236
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			6		1
निगम की सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,735		1,620
ग्राहकों को छूट			694		382
आयकर अधिनियम के अनुसार ब्याज का भुगतान			262		0
सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर का खाते पर प्रतिवारण राशि			265		114
जोड़			26,220		25,781
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	28.1		4,088		5,439
जोड़			22,132		20,342

टिप्पणीः– 34

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			4,924		0
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			61		0
जोड़			4,985		0
घटाएं					
ई डी सी को अंतरित	28.1		0		0
जोड़			4,985		0

टिप्पणी:– 35

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			32,275		19,056
उप जोड़			32,275		19,056
जोड़			**32,275**		**19,056**

टिप्पणी:– 36

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(344)		676
उप जोड़			**(344)**		**676**
घटाएं :					
ई डी सी को अंतरित	28.1		(45)		113
जोड़			**(299)**		**563**

टिप्पणी:– 37

लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्वावधि मदें

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
पूर्व अवधि आय					
विविध प्राप्ति		0	0	280	280
पूर्व अवधि व्यय					
मरम्मत एवं अनुरक्षण		0		(141)	
अन्य सामान्य व्यय		0		9	
मूल्यह्रास		0		277	
विविध – अन्य		0	0	(46)	99
उप जोड़			0		(181)
घटाएं :					
ई डी सी को अंतरित	28.1		0		136
जोड़			0		(317)

38.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार– चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियाँ, जमा और निवेश शामिल होते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार– चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम – वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रभाव में उतार– चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल : कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पाँच घटक होते हैं रू

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूँजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते हैं, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं, मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएँ तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएँ प्रशुल्क की वसूली की जा सकती है और कंपनी की लाभप्रदता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1 कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।

2. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पी.एस.यू. डिस्काम होते हैं।

3. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2014–19, कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिकार को

वसूलने की अनुमति देता है जिससे भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।

5. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

6. रिपोर्ट की जाने की तारिख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

38.2 वित्तीय आस्तियों की हानि

ए एस. 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय आपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है

(क) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख हैं और परिभाषित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख हैं और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) इंड ए एस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य राजस्व मान्यता।

(घ) इंड ए एस 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामले के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आँकलन करती है कि क्या शुरूआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आँकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आँकलन करती है। यदि कालांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समय से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संस्था 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता देने लगती है।

38.3 हाल की लेखाकरण घोषणाएं

इंड ए एस –116–पट्टे –इंड ए एस –17 का स्थान लेंगे

एमसीए ने 30 मार्च 2019 को इंडि. ए एस 116 को अधिसूचित किया और 01 अप्रैल 2019 को या से यह वार्षिक रिपोर्टिंग की अवधि के लिए प्रभावी हुए नए मानदंड में पट्टाधारियों को अधिकांश पट्टों को अपने तुलन–पत्र में मान्यता देनी होगी। सभी पट्टों के लिए एकल लेखाकरण मॉडल का प्रयोग करेंगे जिसमें सीमित छूट प्राप्त होगी। इसमें कंपनी को उन सभी प्रचालनरत पट्टों, जहाँ हम पट्टेधारी के रूप में काम करते हैं, को पूँजीकृत करना होगा। पूँजीकरण आधार सभी भावी छूट प्राप्त रैंटल पर पहले से जुड़े सभी प्रोत्साहन भुगतान किए गए सभी पंजीकृत शुल्क तथा पट्टा रेन्टलों के लिए भुगतान किए गए आनुवार्षिक खर्च होंगे। कंपनी इंड ए एस 116 के विस्तृत प्रभावों का आँकलन करने में जुटी है।

39. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण माँगे शामिल नहीं है तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 199727 लाख रूपये (गत वर्ष रू. 214393 लाख) है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि लाख ₹ में

	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
क.	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया, माध्यस्थम/अदालती मामले/अन्य**		
	मूलधन सरकारी/सीपीएसई** अन्य	57238 100561	62186 102095
	कुल i	157799	164281
	ब्याज सरकारी/सीपीएसई अन्य	2630 190086	2465 176730
	जोड़ ii	192716	179195
	कुल जोड़ i+ii	350515	343476
	विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय मामलों और विवादित अपीलों में कंपनी के विरूद्ध की गई डिक्री के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि/ दी गई बैंक गारंटी	748	721
(ख)	अन्य		
	i. परियोजनाओं / कार्य के लिए कंपनी द्वारा दी गयी गारंटी	25109	25099
	ii. विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा कराए गए 173 लाख रूपये (पिछले वर्ष 173 लाख रूपये) जो अपील के अंतर्गत है।	757	708

(*) आकस्मिक देयताओं में कंपनी के विरुद्ध वे माध्यस्थम एवार्ड शामिल हैं जो कंपनी की अपील और याचिकाओं के आधार पर उच्च न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित हैं।

(**) इसमें चालू वर्ष के 52717 लाख रु (गत वर्ष 37272 लाख रु) तक जल उप कर और ग्रीन एनर्जी उपकर शामिल है जो कंपनी के विरुद्ध निर्णय होने पर सीईआरसी विनिमियों के अंतर्गत लाभग्राहियों द्वारा देय है।

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही है। कंपनी ने 145 लाख रुपये एवं 568 लाख रूपये (गत वर्ष 106 लाख रूपये तथा 606 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 19 एवं 24 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 8445 लाख रुपये (गत वर्ष 9649 लाख रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अविशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 58 लाख रू/ (गत वर्ष 40 लाख रू) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 18532 लाख रु (गत वर्ष 14572 लाख रु) है।

5 (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं एफ सं 8-3/89-एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्टूबर 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई-186/7-1-2002-300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन तथा कंपनी के नाम हक विलेख के निष्पादन के लिए आदेश जारी किया है। यह कार्य पूरा हो चुका है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का नाम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2547.83 हेक्टेयर (गत वर्ष 2547.83 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2042.14 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 505.69 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो काम्पलैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8-32/06-एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं 8/32/86-एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/ प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट / प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585 / टिहरी डेम प्रोजेक्ट /23- सी-4/ टी-18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रक्रियाधीन औपचारिकताओं के पूरा होने पर पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

(iv) टिहरी पीएसपी के उत्खनित मक के पाटन के लिए टीएचडीसीआईएल ने पारस्परिक बातचीत के आधार चोपड़ा गाँव में 5.974 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उक्त भूमि में से 5.217 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख कंपनी के वर्तमान नाम में कर दिया गया है। शेष भूमि के हक विलेख का नामांतरण करने की कारवाई चल रही है।

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 29.12.2016 के पत्र संख्या 8 बी/यू.पी.सी /09/217/2015/एमएफ /1516 के बाद उत्तराखंड सरकार ने चोपड़ा गाँव की 4.668 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) के लिए औपचारिक आदेश जारी किये जा चुके हैं। उपरोक्त भूमि के लिए पट्टा विलेख प्रक्रियाधीन है।

(v) खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहीत 485.9639 हेक्टे. 1200.483 एकड़) का प्रयोग टीएचडीसीआईएल के परियोजना कार्यों के लिए किया जा रहा है। आवश्यक शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण भूमि का हक विलेख अभी किया जाना बाकी है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 24 फ्लैट (गत वर्ष 25 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों जैसे प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिसमें अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस प्रबंध के अंतर्गत दिए गए अग्रिम और उस पर ब्यय की वसूली तब तक कुछ समय के लिए रोक दी गई है जब तक परियोजना नकदी प्रवाह के कारण अनुकूल स्थिति में न आ जाएं। इसे देखते हुए परियोजना के दिसंबर, 22 तक प्रारंभण की संभावना है।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 101 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके हैं। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। कंपनी ने मूल रूप से निर्धारित वितरण समय–सूची दिसंबर, 2017 के स्थान पर दिसंबर, 2020 तक पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया। विश्व बैंक ने जून 2019 तक वितरण समय–सूची बढ़ा दी है। चुकौती की हुए मूल संविदा शर्तों के अनुसार डेबिट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने की मनाही तथा सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसीलि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस प्रबंध के अंतर्गत दिए गए अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली कुछ समय के लिए तब तक रोक दी गई है, जब तक परियोजना नकदी प्रवाह के कारण अनुकूल स्थिति में न आ जाए। इसको देखते हुए परियोजना के दिसंबर, 22 तक प्रारंभ की संभावना है।

(iii) 1320 मेगावाट के उ.प्र. के बुलंदशहर जिले में खुर्जा एसटीटीपी और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रू और 1587.18 करोड़ रू (दिसंबर 17 के मूल्य स्तर पर) निवेश मंजूरी 07.03.2019 को प्रदान की गई है। परियोजना वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कमीशन किए जाने की संभावना है।

8) (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले की 65 मेगावाट की मलेरी झेलम और 108 मेगावाट की झेलम तमक जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हो रही थीं जिनमें पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा उत्तराखण्ड राज्य को अगले आदेश होने तक किसी नई विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय या वन अनुमति न देने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त तथ्य पर विचार कर तथा परियोजनाओं के कार्यान्वियन में अनिश्चितता को देखते हुए मलेरी झेलम तथा झेलम तमक परियोजनाओं के लिए व्यय हेतु 1251 लाख तथा 2232 लाख रू का प्रावधान किया गया है।

(ii) मलसेज घाट पीएसएस (600 मेगावाट) को टीएचडीसीआईएल और एनपीसीआईएल द्वारा संयुक्त उद्यम मोड में शुरू किए जाने का प्रस्ताव था। एनपीसीआईएल की ओर से 1441 लाख रू की राशि व्यय की गई थी और संयुक्त उद्यम का गठन हो जाने के बाद इसका समायोजन किया जाना था। लेखाबही में हमने इस राशि को एनपीसीआईएल से वसूलनीय अग्रिम के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना को स्थगित रखा गया था जैसा कि उनके दिनांक 26.10.2017 के पत्र संख्या एचईपी (61/2016/एलबी1/एचपी) द्वारा सूचित किया गया है और अब तक संयुक्त उद्यम का गठन भी नहीं किया गया है इन तथ्यों और वसूली/

अग्रिम के समायोजन की अनिश्चितता को धयान में रखते हुए लेखा बही में अग्रिम के संबंध में 1441 लाख रु का प्रावधान किया गया है।

9) संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

संबद्ध पक्षकारों के प्रकटन भारतीय लेखाकरण मानक 24 द्वारा यथापेक्षित संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण इस प्रकार है–

(क) संबद्ध पक्षकारों की सूची

i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

1) श्री डी.पी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2) श्री श्रीधर पात्रा*	निदेशक (वित्त)
3) श्री एच.एल. अरोड़ा**	निदेशक (तकनीकी)
4) श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)
5) श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)
6) सुश्री रश्मि शर्मा.	कंपनी सचिव

*31.08.2018 तक

**16.08.2019 से

(ii) अन्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी लाभ के लिए नहीं, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए 'सेवा'–टीएचडीसी को 1735 लाख रुपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक और भत्ते और अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस 365 लाख रु. संवितरित किए गए (गत वर्ष 177 लाख रु.) है।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	330	167
2	पूर्व कर्मचारी हितलाभ	26	0
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	9	10
4	सेवांत हितलाभ	0	0
5	शेयर आधारित भुगतान	0	0
	जोड़	365	177

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10) प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2018-19	2017-18
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। लाख (रु.)	118062	77116
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है (लाख रु.)	125563	77116
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 36460777.55 तनुकृत : 36464058.37	बेसिक : 36181261.38 तनुकृत : 36182301.11
प्रतिशेयर आय रुपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं है। ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	323.81 323.78	213.14 213.13
प्रतिशेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	344.38 344.35	213.14 213.13
प्रति शेयर अंकित मूल्य रु	₹ 1000	₹ 1000

11. भारतीय लेखांकन मानक 'आय पर करों' के अनुपालन में कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रू. 6572 लाख (गत वर्ष 5279 लाख रुपये) को लाभ एवं हानि विवरण में चढ़ाया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू करों का भाग है और वापसी योग्य नहीं है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.		31.03.2019	31.03.2018
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	68374	59703
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487
iii)	ओसीआई को वर्गीकृत बीमांकित लाभ/हानि	234	338
iv)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	6837	6837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	10007	11626
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6140	6516
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां(क)	92079	85507
	आस्थगित कर देयता (ख)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए	-124	-124
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	2975	2975
	निवल आस्थगित कर (देयता) (परिसम्पत्तियां)(क)–(ख)	89104	82532

12. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

क. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसीआईएल लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	₹ लाख में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	363
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	809
03	सामाजिक कल्याण	27
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	40
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	81
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	353
07	खेलकूद को बढ़ावा	9
08	आपदा प्रबंधन	4
09	अन्य	65
जोड़		1751

टीएचडीसीआईएल के रु 1735 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रु16 लाख से सेवा द्वारा किया गया व्यय।

ख. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 1735 लाख रु (गत वर्ष 1620 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रु 1735 लाख (गत वर्ष 1617 लाख रु) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

ग. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय(पूंजी या राजस्व) का ब्यौरा:

(राशि लाख ₹ में)

		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	0	0	0
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	1735	0.00	1735

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 433 लाख (पूंजी 174 लाख रु और राजस्व 259 लाख रु) (गत वर्ष 482 लाख रु. (पूंजी–244 लाख रु., राजस्व 238 लाख रु.) व्यय किए हैं।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं को भुगतान न किया गया मूलधन 43 लाख (गत वर्ष 41 लाख रु.) है। उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

14. कंपनी ने कर्मचारियों के लिए /कार्यालयों / अतिथिगृहों/ ट्रांजिट कैंपो और वाहनों के लिए प्रचालन पट्टे/किराए पर परिसर लिया है। ये पट्टा प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं। पट्टे के भुगतान के लिए किराया/ पट्टे 659लाख रु. (गत वर्ष 952 लाख) शामिल है।

15. इन्ड एएस 19– के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभ के सम्बन्ध में प्रकटन इस प्रकार है:

क) परिभाषित अंशदान योजना–पेंशन

कंपनी में, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गयी है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकित मूल्यांकन शून्य (गत वर्ष शून्य) के आधार पर चूंकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान मूल्य से 4969 लाख रु (गत वर्ष 2528 लाख रु) अधिक हो जाता है इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियम किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी का नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित्त विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है।

(v) अन्य प्रतिलाभ (असबाब/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति की अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल हैं। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

31.03.2019 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों के हित" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	7.75%	7.60%	7.50%	7.75%	8.0%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.0%

जोखिम एक्सपोज़र का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते हैं और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि– वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर–उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान से कम या ज्यादा, मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि लाख ₹ में)

(नकारात्मक शेष के आंकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}
ब्याज लागत	1329 {1275}	210 {337}	675 {(929)}	477 {423}	65 {65}
सेवा लागत उपरान्त					338
वर्तमान सेवा लागत	606 {684}	1236 {213}	427 {402}	217 {221}	111 {73}
लाभ का भुगतान	(1516) {(691)}	(1052) {(3628)}	(277) {(223)}	(347) {(135)}	(135) {(82)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(12) {(785)}	1138 {452}	177 {(4615)}	385 {122}	(28) {(26)}
वर्ष के अंत में पीवीओ	17893 {17486}	4304 {2772}	9883 {8881}	7002 {6270}	1243 {892}

सारणी – 3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(राशि लाख ₹ में)

(नकारात्मक शेष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के अंत में पीबीओ	17893 {17486}	4304 {2772}	9883 {8881}	7002 {6270}	1243 {892}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	3320	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/ प्रावधान	17893 {17486}	4304 {2772}	9883 {8881}	3682 {6270}	1243 {892}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता	17893 {17486}	4304 {2772}	9883 {8881}	3682 {6270}	1243 {892}

सारणी – 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(राशि लाख ₹ में)

(नकारात्मक शेष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	असबाब भत्ता/ लंबी सेवा एवार्ड/ एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	606 {684}	1236 {213}	427 {402}	217 {221}	111 {73}
सेवा उपरांत लागत					337.70
ब्याज लागत	1329 {1275}	210 {337}	675 {929}	477 {423}	65 {65}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(12) {(785)}	1138 {452}	177 {(4615)}	385 {122}	(28) {(26)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	1935 {1959}	2585 {1003}	(1279) {3284}	694 {644}	516 {138}

सारणी – 5 संवेदनशीलता विश्लेषण (राशि लाख ₹ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश		अस्वस्थता अवकाश		पीआरएमबी		अन्य	
	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(531)	(564)	(151)	(103)	(315)	(310)	(826)	(811)	(34)	(28)
0.50% की कमी	559	595	161	110	332	327	877	814	34	30
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	132	161	160	109	315	310	लागू नहीं	लागू नहीं	17	17
0.50% की कमी	(144)	(171)	(151)	(103)	(332)	(327)	लागू नहीं	लागू नहीं	(17)	(16)
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	906	814	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(847)	(811)	लागू नहीं	लागू नहीं

अन्य प्रकटन (राशि लाख ₹ में)

उपदान	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17893	17486	17003	14638	13741
बीमांकिक (लाभ)/हानि					2266
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(12)	(785)	(137)	(205)	
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1935	1959	3076	1597	3880

अर्जित छुट्टी	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4304	2772	5398	3714	5875
बीमांकिक (लाभ)/हानि	1138	452	1668	835	2131
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2585	1003	2263	1521	2876

अर्द्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9883	8881	12388	10330	9382
बीमांकिक (लाभ/हानि)	178	(4616)	861	(1)	4288
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1279	(3284)	2234	1242	5147

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7002	6270	5639	4598	3692
बीमांकिक (लाभ)/हानि	385	122	643	616	1118
बीमांकिक (लाभ)/हानि	385	122	643	616	-
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	694	644	525	1047	1433
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1243	892	862	805	735
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(29)	(28)	38	12	64
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(29)	(28)	38	12	
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	516	138	112	149	118

16. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव
1	"सामान्य" से सम्बंधित लेखाकरण नीति में संशोधन और उनमें पश्चवर्ती संशोधन जोड़े गए हैं।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।
2	"13 राजस्व मान्यता और अन्य आय" के अंतर्गत नयी नीति इस प्रकार जोड़ी गयी है। 13.1 इन्ड एएस के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्य किया जाता है जब संस्था, उपभोक्ता को वादा किये गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। किसी परिसंपत्ति का स्थानांतरण उसी स्थिति में होता है जब नियंत्रण का समय न रह गया हो या समय रहते कंपनी उन्हीं राशियों के मामलों में राजस्व को मान्यता देती है जिनमें इस इनवायस का अधिकार होता है	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। इन्ड एएस 115 के कार्यान्वयन के लिए संशोधन किया गया है।

क्र.सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव
3.	"14.2 व्यय" के अंतर्गत नई नीति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: जिस पूर्वावधि के दौरान महत्त्वपूर्ण त्रुटियाँ हुई थीं, उस अवधि के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत कर उन त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटियाँ प्रस्तुत की गयी आरम्भिक अवधि से पूर्व हुई थीं, तो पूर्व अवधि की परिसम्पत्तियों, देयताओं और इक्विटी को पुनः नए रूप में प्रस्तुत किया गया है।	वित्त वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए हिसाब में लिया गया। विनियामक आस्थगित शेष 4060 लाख रु. को चालू वर्ष में मान्य किया गया।
4	"22 दर विनियमित गतिविधि– विनियामक आस्थगित शेष" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया: 22.1 लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया गया व्यय/आय जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार पश्चवर्ती अवधि में लाभार्थियों को जिस सीमा तक भुगतेय या उनसे वसूलनीय हो, उस सीमा तक 'विनियामक आस्थगित लेखा शेष' के रूप में मान्य किए जाते हैं। 22.2 ये विनियामक आस्थगित लेखा शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिस वर्ष ये लाभार्थियों से वसूलनीय या उनसे प्राप्त हो जाते हैं। 22.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्यता मानदंड के अनुसार हैं और यह संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को ही प्राप्त होगा। यदि ये मानदंड पूरे नहीं किए जाते तो विनियामक आस्थगित शेष की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ तथा अन्य विद्युत् पीएसयू के अनुरूप
5	नई नीति इस प्रकार जोड़ी गयी है: **25. विविध** 25.1 समान प्रकार की वस्तुओं की उल्लेखनीय श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की वस्तुओं या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक ये गौण प्रकृति के न हों।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समय के लिए संशोधन किया गया है।

17 (क) कंपनी मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी है। उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली के लिए कंपनी द्वारा उनसे प्रभारित किया जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा तय किया जाता है। सीईआरसी ने बिजली की बिक्री के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण के लिए सिद्धांत और तौर–तरीकों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। प्रशुल्क अनुमेय लागतों जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण खर्च आदि और परिकलित प्रतिफल पर आधारित होता है। इस प्रकार के दर विनियमन को सेवा लागत विनियमन के रूप में जाना जाता है जो कम्पनी को अपनी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की लागत तथा उचित प्रतिफल वसूलने का प्रावधान करता है।

(ख) सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से किया जाना था। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा भारत सरकार को की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ सीपीएसई के कर्मचारियों को दिए जाने वाले मूल– वेतन के 30% + महंगाई भत्ता जैसे सेवांत लाभ हैं जिसमें मौजूदा

10 लाख रु. की सीमा से 20 लाख तक की सीमा तक बढ़ाई गए ग्रैच्युइटी (उपदान) शामिल होता है। 2014–19 की अवधि के लिए लागू प्रशुल्क विनियमों की निबंधन एवं शर्तों के परन्तु 8(3) के अनुसार, सीईआरसी द्वारा कानून में परिवर्तन या मौजूदा कानूनों के अनुपालन के सम्बन्ध में संतुलित करने की कार्रवाई की जाएगी। उपदान (ग्रैच्युइटी) को 10 लाख रु. से बढ़ा कर 20 लाख रु. करना "कानून में परिवर्तन" की श्रेणी में आता है और वर्ष में एक विनियामक आस्थगित खाता खोला जाता है।

(ग) पूर्ववर्ती वेतन संशोधन के प्रभाव को अनुमति देने के लिए सीईआरसी द्वारा अपनायी गई प्रणाली विनियम, 2014 के अंतर्गत सीईआरसी द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रशुल्क आदेश और विनियमों में परिवर्तन से जुड़े उपरोक्त प्रावधान पर विचार करते हुए, वेतन में संशोधन किए जाने के कारण ओएंडएम व्यय में वृद्धि के लिए एक विनियामक परिसंपत्ति (विनियामक आस्थगित लेखा शेष) बनाया गया है। संतुलित करने की कवायद के माध्यम से इसे सीईआरसी के साथ उठाया जायेगा।

(घ) चालू वर्ष में, वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2017 से कार्यान्वित किए गए हैं। कंपनी की लेखाकरण नीति और इन्ड एएस – 8 के अनुरूप इस राशि को उल्लेखनीय नहीं मानते हुए वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक वेतन संशोधन के प्रभाव के लिए 4060 लाख रु. के आस्थगित शेष को मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 से जुड़ी 3441 लाख रु. की राशि "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में हिसाब में रखी गई है। इस प्रकार 7501 लाख रु. के कुल विनियामक आस्थगित शेष को वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान की गई है।

18. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सामग्री सहित सेवा कर)

(राशि लाख ₹ में)

		2018-19	2017-18
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10	10
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	-----	-----
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-----	-----
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	4	6
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

19. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं:

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं है**	लागू नहीं है**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1513 मे.वा.	1513 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)	4301 मे.वा.	2981 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	4687.182275	4540.939605
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	4136.4732971	4004.091416

**विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है या उसका अनुरक्षण कर सकती है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार हैः

(राशि लाख ₹ में)

	विवरण	2018-19	2017-18
क	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)		
	यात्रा	129	20
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	306	236
	प्रबंधन / प्रतिबद्धता शुल्क		
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	4539	1315
	माल का आयात	3417	2571
	अन्य (अग्रिम)		
	सम्मेलन के लिए नामांकन	3	
	साफ्टवेयर की खरीद		
	अन्य		
	कुल	**8394**	**4142**
ख	विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)	**0**	**0**
ग	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
i)	पूंजीगत माल	3520	2602
ii)	अतिरिक्त पुर्जे	25	
	कुल	**3545**	**2602**
घ	घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का मूल्य		
i)	आयातित (लाख रूपए में)	27	3
	(%)	4.89	0.32
ii)	स्वदेशी (लाख रूपए में)	532	915
	(%)	95.11	99.68
ङ.	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

21. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार हैः

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2019	31.03.2018
नकदी तथा नकदी समतुल्य	10	4577	6102
जोड़े : लियन के तहत बैंक शेष	11	676	37
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	23	121840	64663
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		-116587	-58524

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंडएएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और ये अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न

देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय गतिविधियों नकद प्रवाह 2018–19	आदि	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	363088		365888	2800	वीपीएचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी
दीर्घकालिक उधारियाँ (बॉन्ड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	342813		319639	(23174)	आहरित ऋण जिसमें विनियम दर रु. 78431 लाख ऋण चुकौती रु. 101606 और निवल परिवर्तन रु.23175 लाख
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें – सीडब्ल्यूआईपी		36100 (18531)		(17569)	लाभ और हानि में प्रभारित
भुगतान किया गया लाभांश और लाभांश वितरण कर				(51009)	लाभांश का भुगतान किया गया
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				(88952)	

22. (क) व्यापार प्राप्य और भुगतान देनदारियों के संबंध में बाहरी पक्षकारों से पुष्टि, जमा ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं / अन्य को अग्रिम जिसमें पूँजी व्यय और ठेकेदारों को जारी सामग्री शामिल है, प्रत्येक पक्षकार के लिए 5 लाख रु. या इससे ऊपर की शेष राशि के लिए वरीयतः सम्बंधित वर्ष के वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर को अपेक्षित होता है। 31 दिसम्बर, 2018 को शेष की स्थिति तथा 31.03.2019 के बकाया की स्थिति की पुष्टि निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2018 को				31.03.2019 को
		< 5 लाख	> 5 लाख	कुल	'ख' में से पुष्टि	₹ लाख
		क	ख	ग		घ
1	व्यापार प्राप्य जिसमें विनायामक कर्जदार शामिल नहीं हैं	20	195376	195395	171169	170128
2	आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और छोटे जमाकर्ताओं को अग्रिम	138	102130	102268	90849	130581
3	प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण धनराशि, व्यापार प्राप्य और जमाकर्ता	974	12784	13757	9414	15433

ख) प्रबंधन की राय में अपुष्ट शेष राशियों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा।

23. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध /वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन: 08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

राय

हमने 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथाअपेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं अन्य विस्तृत आय सहित और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखापरीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट मेल संसूचित किया जाएगा।

क्र. स.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनन्तिम दरें अपनाई जाती हैं।	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभार शामिल होते हैं, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

	सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, को जटिल और निर्णयाधीन होता है, की मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29.1 देखें)	- ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी के डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। - सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। - उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते हैं।
2	आकास्मिक देयताएँ कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 12 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक अनुदेशों क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैः - लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। - प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधि मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। - विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेज़ों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। - प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। - जिन मामलों का प्रकटन नहीं किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। - प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में इंडि. ए एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति संख्या 13 के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर मान्यता दी गई है।

(ख) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 2 जिसमें दावे/माध्यस्थम कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवा ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ग) 31 मार्च, 2019 को बकाया व्यापार प्राप्य की शेष राशि की पुष्टि से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 18(क) जिसमें विनियामक कर्जदार, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम, ठेकेदार और छोटे जमाकर्ता, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि व्यापार प्राप्य और क्रेडिटर की वर्ष में एक बार टीएचडीसीआईएल के माध्यम से पुष्टि की जा चुकी है हालाँकि प्रत्यक्ष पुष्टि भेजी गई थी परंतु प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 7(i) और (ii) में वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के लिए क्रमशः दिसंबर 2022 जून, 2022 तक परियोजना के प्रारंभण को विस्तार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एचपीसी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) खुर्जा सुपर पावर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई 485.9630 हेक्टेयर (1200.483 एकड़) जमीन से संबंधित टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 5(v) को ही टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अपेक्षित शर्तों को पूरा होना लंबित रहने के कारण भूमि का हक विलेख अभी कार्यान्वित होना शेष है।

(च) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.8 उत्तराखण्ड में स्थित 108 मेगावाट के झेलम तमक तथा 65 मेगावाट के मलेरी झेलम पर हुए व्यय के संबंध में बही में 49.24 करोड़ रु. के प्रावधान से संबंधित है जिसके अनेक कारण है जिनका प्रकटन नोट में किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचनाएँ

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट है (परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त किया था (यहाँ इसके बाद सी जी रिपोर्ट के बारे में संदर्भित) और अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और कंपनी संबंधी अन्य सूचनाओं (इसके बाद अन्य रिपोर्ट के रूप में संदर्भित) सहित निदेशक की रिपोर्ट शामिल हैं। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है ।

इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले प्राप्त सी जी रिपोर्ट में शामिल की गई सूचनाओं के संबंध में हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दूसरी जानकारी संबंधी महत्वपूर्ण गलतबयानी की गई है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना होगा इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नही करना है।

जब हम 'अन्य रिपोर्ट' कहते है तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को आवश्यक होने पर कार्रवाई करने के लिए उन लोगों को सूचित करे जिन्हें सुशासन का भार सौंपा गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने, जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथा लागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो तो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचें।

कंपनी की वित्तीय विवरणों रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित हैं और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा। यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमः

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ भी प्राप्त की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस

बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति दी जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्हीं चिन्हित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ–साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना दी है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को एक विवरण भी प्रदान करते है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते है यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में यथापेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण "अनुलग्नक–क" में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुपालन "अनुलग्नक–ख" में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथापेक्षित हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ गठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ड) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक 'ग' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 अगस्त, 2019 को अनुमोदित कर दिया है और उस पर हमारी 27 अगस्त, 2019 की रिपोर्ट (पूर्ववर्ती रिपोर्ट) जारी की गई थी ।

यह स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा की गई अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में हमारी दिनांक 27.08.2019 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट का अधिक्रमण कर जारी की गई है। यह टिप्पणी उन्होंने पूर्ववर्ती रिपोर्ट की विधिक और विनियामक आवश्यकता खंड का अंग बने अनुलग्नक 'क' [कंपनी विनिर्दिष्ट मामलों में विवरण (लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदेश 2016] के भूमि से संबंधित पैरा i (ग) और विवादित सांविधिक देयताओं की राशि से संबंधित पैरा vii (ख) जैसे लेखा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित पैराग्राफों में संशोधन किए जाने पर की थी। यहाँ उल्लेखित संशोधनों को छोड़कर वित्तीय विवरणों के संबंध में पूर्ववर्ती रिपोर्ट में दी गई हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और बाद की लेखा परीक्षा में हमारी लेखा परीक्षा की पद्धति पूर्ववर्ती रिपोर्ट की तारीख तक सीमित रही।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001049सी
(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427
यूडीआईएन : 19071427AAAAAJ7403

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

"अनुलग्नक – क"

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अंतर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकॉर्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकॉर्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करो की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई जिसका लेखा–बही में उपयुक्त रूप से निपटान न किया गया हो। हमारी राय में कंपनी के आकार के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति (टिहरी/ कोटेश्वर/ पाटन/ देवभूमि) के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर ज़मीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बाँध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम पर प्राप्त की गई। टिप्पणी क्रमांक 39.5(ii) से विदित होता है स्वामित्व विलेख में 505.69 हैक्टे. फ्री होल्ड भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कि गई है। टिप्पणी 39.5 (iii) से विदित होता है कि 44.429 हैक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 39.5(iv) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे. फ्री होल्ड भूमि एवं 4.688 हैक्टे. लीज होल्ड भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। और 39.5(v) से विदित होता है कि 485.9639 हैक्टे. भूमि का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम निष्पादित किया जाना है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऊपर संदर्भित भूमि का मूल्य अभी अभिनिश्चित किया जाना है।

ii. माल सूचियों की वास्तविक सत्यापन सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है, माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ – 3 का खंड –(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं हैं।

iv. हमारी राय मे तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबद्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नही कि है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके

अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों का रख–रखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकॉर्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन हैं।

vii. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधानिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर तथा अन्य सांविधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधानिक देय राशि 31 मार्च, 2019 को बाकी नही थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सेवाकर और उपकर, यदि कोई हो, का ब्योरा, 31 मार्च, 2019 के अनुसार निम्नानुसार है:

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (रु. लाख में)	जिस वित्त वर्ष से सम्बंधित हैं	विरोध सहित जमा (रु. लाख में)	मंच जहाँ मामला लंबित हैं
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	40097	2015-16 से 2018-19 तक	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	12620	2015-16 से 2018-19 तक	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण के माध्यम से जुटाए धन का, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नही है,इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसे लेन–देन के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया अतएव आदेश के खंड 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001049सी
(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

"अनुलग्नक – ख"

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्रम सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हॉं, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	जी हॉं, हमारे सत्यापन के आधार पर लेखांकन संबंधी कोई भी लेन–देन कंपनी में मौजूद एफएमएस प्रणाली से इतर किसी प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नही सकी थी। यदि हॉं, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	हमारे सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का मामले नहीं था जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी।	नहीं
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया।	की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई। निधियों (इक्विटी) का हिसाब–किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया ।	नहीं

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

"अनुलग्नक – ग"

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए ज़िम्मेदार है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन ज़िम्मेदारियों में डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर ये औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ताएं वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन के जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिज़ाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रख–रखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार

करने हेतु लेन–देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय– व्यय विवरण तैयार किया जाता है तथा (iii) कंपनी की परिसम्पत्तियों का अनाधिकृत उपयोग, निपटान अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर जिसमे धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की सम्भावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाज़ी भी हो सकती है, कि अंतर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मार्च, को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001049सी
(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

No. MAB-III/62/REP/01-107/Acs-Ph. III-THDC/2019-20/571

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

Indian Audit & Accounts Department
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 18/09/2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीया,
ह./–
(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवां तल, एनेक्सी बिल्डिंग,10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Ph.: 23239227; Fax: 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 12.09.2019 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है जिसने दिनांक 27.08.2019 की पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण कर दिया है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा सामने लायी गयी लेखा परीक्षा सम्बन्धी कुछ अभ्युक्तियों को लागू करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा में कुछ संशोधन किया है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./—
(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2019

कोटेश्वर बांध झील
Koteshwar Dam Lake

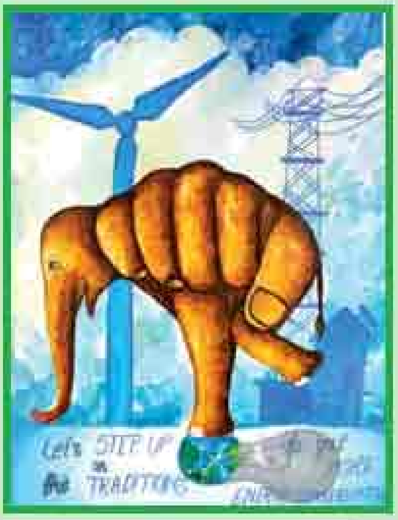

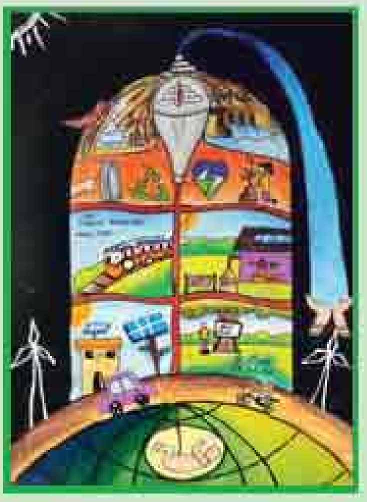

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा "ऊर्जा संरक्षण" पर आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता 2018 में विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स

The paintings are done by students in State Level drawing competition 2018 on "Energy Conservation" organized by THDC India Limited

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

CIN : U45203UR1988GOI009822

कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201

Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201

वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by CURRENT